

फैक्स
स्पीड पोस्टबिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

आइटीए १९६९

प्रेषक:

अरविन्द कुमार सिंह
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
वैशाली, हाजीपुर

पटना, दिनांक- जून, 2016

विषय:- बिहार मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या-BHRC/Comp. 1578/2014 में पारित आदेश के आलोक में सराय (वैशाली) थाना काण्ड सं०-10/08 दिनांक-29.02.2008 में पीड़ित श्री सुबोध कुमार, पिता-श्री रघुनाथ सिंह, ग्राम- कुतुबपुर, थाना-सदर हाजीपुर, पो०-थाथन बुजुर्ग, जिला-वैशाली को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा भुगतान/समंजन का आदेश/राज्यादेश संख्या-5548 दिनांक-09.06.2016 द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष-2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड-N2235602000011 विषय शीर्ष-3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से कुल ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. पीड़ित श्री सुबोध कुमार, जिला-वैशाली, हाजीपुर को मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को निम्नवत राशि आवंटित की जाती है:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को कुल में आवंटित राशि
₹00/- (शून्य)	₹50,000/- (पचास हजार)	₹50,000/- (पचास हजार)

3. उक्त आवंटित राशि ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड-N2235602000011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. उक्त राशि जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा यथा विषयांकित पीड़ित श्री सुबोध कुमार को मुआवजा के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को उपलब्ध करायी जा रही है।
जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान पीड़ित की समुचित पहचान कर की गई है।
5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर होंगे।
6. उक्त राशि के निकासी जिला कोषागार, वैशाली, हाजीपुर से की जायगी।
7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पीड़ित श्री सुबोध कुमार को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।
9. जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा मात्र उक्त पीड़ित श्री सुबोध कुमार को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
13. इस आवंटन ओदश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरविन्द कुमार सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली, हाजीपुर/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आक्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आक्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक, 2016

प्रतिलिपि :- सहायक निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, 9 बेली रोड, पटना को उनके पत्रांक/वाद BHRC/Comp. 1578/2014-15221 दिनांक-27.04.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक-....., 2016

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

Chinhe
16/6

13-6
13/6/16